# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73-नेहरु रोड़, देहरादून, दूरभाष : 0135-2657610, फैक्स : 0135-2655488

पत्रांक-वि0- 2795 /16-2-1 (ख)/जलौनी आपूर्ति (बी0पी0एल0) दिनांक : 13, अगस्त 2019

सेवा में,

1. **समस्त अपर प्रबन्ध निदेश /महाप्रबन्धक ,**
2. **समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक**

   उत्तराखण्ड वन विकास निगम,

**विषय :-** **राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निःशुल्क जलौनी उपलब्ध कराया जाना**

संदर्भ:- प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 30.07.2019 का कार्यवृत्त की मद सं0-23 (11)
मुख्यालय की पत्र संख्या-178/123/ प्रबन्ध मण्डल, दिनांक 08.08.2019

महोदय

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 30.07.2019 के कार्यवृत्त के मद संख्या-23(11) में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निःशुल्क जलौनी उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय निम्नवत् है :-

*"मा0 अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम दाह संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नजदीकी डिपो से अधिकतम 4.5 (साढ़े चार) कुन्तल जलौनी निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया।*

*अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया।"*

अतः उपरोक्तानुसार प्रबन्ध मण्डल की उपरोक्त उल्लेखित निर्णय के अनुपालन में राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अन्तिम दाह संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नजदीकी डिपों से अधिकतम 4.5 (साढ़े चार) कुन्तल जलौनी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। उक्त कार्यवाही हेतु निम्न प्रक्रिया भी अनिवार्य रूप से अपनाई जाए :-

1. बी0पी0एल0 कार्ड एवं आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति प्राप्त करते हुए अनुरक्षित की जाए।
2. ऐसे स्थल जहाँ पर एक से अधिक डिपो/टाल संचालित है, उनमें से सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा निर्धारित किसी एक डिपो /टाल से उक्त जलौनी आपूर्ति की जाए।
3. उपलब्ध कराई गई जलौनी का विवरण एक पंजिका में संलग्न प्रारुप के अनुसार अनुरक्षित किया जाए।
4. पंजिका का निरीक्षण सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा समय-समय पर, माह में एक बार अवश्य किया जाए तथा पुष्टि के हस्ताक्षर भी किए जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

**संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।**

भवदीय,

13.08.2019

**(मोनिष मल्लिक)**

प्रबन्ध निदेशक

*पत्रांक :- वि0-2795/तद्दिनांकित ।*

**प्रतिलिपिः-निम्न को उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. **निजी सचिव-मा0 अध्यक्ष,** उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. **प्रमुख सचिव,** वन एवं पर्यावरण उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. **समस्त प्रबन्धक/अधिकारी, मुख्यालय,** उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
4. **प्रभारी आई0टी0सेल0 मुख्यालय,** उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को वन निगम वेबसाइड पर अपलोड किए जाने हेतु
5. प्रति- (1) शिविर पत्रावली (2) गार्ड फाईल।

**संलग्नक:-उपरोक्तानुसार**

13.08.2019

**(मोनिष मल्लिक)**

प्रबन्ध निदेशक

VM/16-5-Jaloni Tal Sthapana 2019-20/

# उत्तराखण्ड वन विकास निगम, क्षेत्र ..... प्रभाग.....

## राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अन्तिम संस्कार हेतु उपलब्ध कराई गई नि:शुल्क जलौनी का विवरण

डिपो/टाल का नाम.....

अवधि/माह.....

| क्र0 सं0 | दिनांक | मृतक का नाम | पिता/पति का नाम सहित पता | रवन्ना न0/फुटकर बिक्री पर्ची दिनांक | वाहन का प्रकार एवं सं0 | अंत्येष्टि हेतु दी गयी नि:शुल्क जलौनी की मात्रा | | बी0पी0एल0 कार्ड का विवरण | | | | अन्य विवरण | टाल/प्लाट प्रभारी के आद्य हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | कुन्तल में | घमी0 में | कार्ड धारक का नाम | ग्राम/मौहल्ला | तहसील/ जनपद | आधार कार्ड न0 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | योग | | | | | | | | |

प्रभारी डिपो/टाल

प्रभागीय प्रबन्धक

# उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73-नेहरू रोड, देहरादून, दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488


पत्रांक एन०सी० - 178 /123/प्रबन्ध मण्डल /(68वीं बैठक) दिनांक: 08 अगस्त 2019

सेवा में,

1- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

2- समस्त प्रभागीय प्रबन्धक, (नियोजन/विपणन/खनन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, मुख्यालय, देहरादून।

3- प्रभारी वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक/प्रभारी आन्तरिक सम्प्रेक्षा अधिकारी/प्रभारी लेखाधिकारी (ई०पी०एफ०), एवं वरिष्ठ तकनीकी प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून।

4- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम देहरादून ।

***विषय:-*** ***उत्तराखण्ड वन विकास निगम की प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक दिनांक 30-07-2019 का कार्यवृत्त ।***

***संदर्भ:-*** ***इस कार्यालय की पत्र सं० एन.सी.-143 /123/प्रबन्ध मण्डल-(68)/2019 दिनांक: 23 जुलाई 2019 एवं एन.सी. -150 /123/प्रबन्ध मण्डल-(68)/2019 दिनांक: 30 जुलाई 2019***

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में दिनॉक 30 जुलाई 2019 को मा0अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वन विकास निगम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि कृपया 68वीं बैठक में प्रबन्ध मण्डल द्वारा विभिन्न मद/विन्दुओं पर लिये गये निर्णय एवं दिये गये निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्र/प्रभाग एवं शाखा/कक्ष से सम्बन्धित मद/विन्दुओं पर वॉछित कार्यवाही कर परिपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत करायें।

**संलग्नक:- बैठक का कार्यवृत्त**

भवदीय,

08.08.2019

(मोनिष मल्लिक)

प्रबन्ध निदेशक

**पत्रांक:-** (1)/123/जी.बी. (68)/तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपि** :-निम्नलिखित को 68वीं बैठक का कार्यवृत्त संलग्न कर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महाप्रबन्धक (उत्पादन/कु0मण्डल) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून/ हल्द्वानी।
2. क्षेत्रीय प्रबन्धक (मुख्यालय) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून ।

**संलग्नक:- बैठक का कार्यवृत्त**

प्रति - गार्ड फाइल

(मोनिष मल्लिक)

प्रबन्ध निदेशक

## श्री सुरेश परिहार, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वन विकास निगम की अध्यक्षता में दिनॉक 30–07–2019 को सम्पन्न उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक का कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल की 68वीं बैठक, इस कार्यालय की पत्र संख्या एन0सी0 143/123/जी.बी. (68)/2019 दिनांक 23–07–2019 एवं पत्र संख्या एन0सी0 150/123/जी.बी. (68)/2019 दिनांक 30–07–2019 द्वारा श्री सुरेश परिहार, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वन विकास निगम की अध्यक्षता में 73 नेहरू रोड, देहरादून स्थित अरण्य विकास भवन के सभाकक्ष में दिनॉक 30–07–2019 को आहूत की गयी।

**प्रबन्ध मण्डल की बैठक में संलग्न सूची के अनुसार महानुभावों द्वारा प्रतिभाग किया गया (संलग्नक–उपस्थिति पत्रक)**

सर्वप्रथम प्रबन्ध निदेशक उ0व0वि0नि0 द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। तद्नुसार सम्पन्न बैठक का मदवार कार्यवृत्त निम्नवत है :–

**मद संख्या : 1**

**उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रबन्ध मण्डल की 67वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होना :–**

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रबन्ध मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 08–03–2019 का कार्यवृत्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कार्यालय पत्रांक एन.सी.–346/प्रबन्ध मण्डल/(67बैठक)/2019 दिनांक 18 मार्च 2019 द्वारा जारी किया गया है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिससे प्रबन्ध मण्डल अवगत हुआ।

**मद संख्या: 2**

उ0व0वि0नि0 के प्रबन्ध मण्डल की पूर्व की बैठकों के सन्दर्भ में विभिन्न मदों पर की गयी कार्यवाही का मदवार संक्षिप्त विवरण :–

| मद सं0 | विगत बैठक/बैठकों की अद्यतन स्थिति एवं 68वीं बैठक हेतु प्रस्ताव | प्रबन्ध मण्डल का निर्णय/निर्देश |
|---|---|---|
| 2.1 | **बद्रीनाथ वन विकास प्रभाग, कर्णप्रयाग में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2012–13 तक में हुए वृक्षों एवं प्रकाष्ठ क्षति के सम्बन्ध में:–**<br>{(प्रबन्ध मण्डल बैठक 53( 2.17), 54 (2.13), 55(2.5), 56(2.5), 57 (2.2), 58 (2.2), 59 17(2.2), 65 (2.2) एवं 67 (2.1)}<br>1–प्रबन्ध मण्डल की विगत बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में जॉचोपरान्त बद्रीनाथ वन विकास प्रभाग, कर्णप्रयाग में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2012–13 तक हुए वृक्षों एवं प्रकाष्ठ क्षति के लिए श्री भीम राज सिंह नेगी, लौगिंग सहायक (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सेवानिवृत्ति के उपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु प्रबन्ध निदेशक कार्यालय की पत्र सं0 ई0 4483/8–2–2/अनु0का0/श्री भीमराज सिंह नेगी, लौ0स0 दि0 23–10–2018 एवं ई0 449/8–2–2/अनु0का0/श्री भीमराज सिंह नेगी, लौ0स0 दि0 29–04–2019 द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति बावत् पत्र शासन को सन्दर्भित किया गया है।<br><br>2– बद्रीनाथ वन विकास प्रभाग, कर्णप्रयाग में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2012–13 तक में हुए वृक्षों एवं प्रकाष्ठ क्षति के लिए श्री डी0एन0 आर्या, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में जांच अधिकारी द्वारा की गयी जांच आख्या प्राप्त हो गयी है। जॉच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय की पत्र संख्या–3315/8–2/अनु0का0/ श्री डी0एन0 आर्या, प्र0प्र0 दिनांक 29.08.2018 द्वारा इनके विरूद्ध कुल क्षति धनराशि रू0 1,15,177.55 + 8,28,956.00 = रू0 9,44,133.15 वसूली हेतु नोटिस भेजा गया था।<br>श्री डी0एन0 आर्या, प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, काशीपुर द्वारा नोटिस के प्रत्युत्तर में पत्रांक 1369 दि0 14–02–2019 से अवगत कराया गया है कि रू0 | **बद्रीनाथ वन विकास प्रभाग, कर्णप्रयाग में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2012–13 तक में हुए वृक्षों एवं प्रकाष्ठ क्षति के सम्बन्ध में:–**<br><br>1– प्रकरण पर पूर्व में की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध मण्डल अवगत हुआ तथा निर्देश दिए गए कि जॉच के आधार पर बद्रीनाथ वन विकास प्रभाग, कर्णप्रयाग में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2012–13 तक हुए वृक्षों एवं प्रकाष्ठ क्षति के लिए श्री भीम राज सिंह नेगी, लौगिंग सहायक (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध सेवानिवृत्ति के उपरान्त अनुशासनिक कार्यवाही करने हेतु पुनः महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति बावत् पत्र शासन को सन्दर्भित किया जाय।<br>2– प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से प्रबन्ध मण्डल अवगत हुआ तथा जॉच के आधार पर बद्रीनाथ वन विकास प्रभाग, कर्णप्रयाग में वर्ष 2006–07 से वर्ष 2012–13 तक में हुए वृक्षों एवं प्रकाष्ठ क्षति के लिए रू0 9,44,133.15 वसूली हेतु भेजे गए नोटिस के क्रम में श्री डी0एन0 आर्या, तत्कालीन–प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, कर्णप्रयाग द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर का संज्ञान लेते हुए पुनः वसूली हेतु पत्र लिखा |

| | | |
|---|---|---|
| | (9) श्री रघुनन्दन प्रसाद पाण्डेय का गांव नैल तोरूण, जनपद टिहरी गढ़वाल से पलायन रोके जाने हेतु किए गए सराहनीय प्रयास के लिए आर्थिक सहयोग :-<br>मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वन विकास निगम महोदय के माध्यम से श्री रघुनन्दन प्रसाद पाण्डेय, गाँव नैल तोरूण, पोस्ट ऑफिस हिसरियाखाल जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र दि0 21-07-2019 से अवगत कराया गया है कि गाँव नैल तोरूण में संसाधनों की कमी के कारण लगभग 50 परिवार पलायन कर चुके हैं। वह बी0पी0एल0 परिवार का एक विधुर वृद्ध व्यक्ति है जो अकेला ही उक्त गाँव में रह रहा है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उनका मकान क्षतिग्रस्त है। आर्थिक दशा अनुकूल न होने के कारण मकान की मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है और उनके द्वारा स्वयं गाँव के पलायन रोके जाने हेतु जिलाधिकारी एवं पलायन आयोग से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पलायन रोके जाने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही किए जाने हेतु मा0 अध्यक्ष, उ0व0वि0नि0 से अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त है। | (9) श्री रघुनन्दन प्रसाद पाण्डेय का गांव नैल तोरूण, जनपद टिहरी गढ़वाल से पलायन रोके जाने हेतु किए गए सराहनीय प्रयास के लिए आर्थिक सहयोग :-<br>प्रस्ताव पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। सम्यक विचारोपरान्त विधुर वृद्ध व्यक्ति श्री रघुनन्दन प्रसाद पाण्डेय, गाँव नैल तोरूण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा पर्वतीय ईलाकों से पलायन रोके जाने हेतु किए जा रहे सराहनीय प्रयास के दृष्टिगत रू0 50000/- (पचास हजार मात्र) आर्थिक मदद किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया। |
| | (10) क्रिकेटर जानकी मेहरा, पुत्री श्री खीम सिंह मेहरा को उत्तराखण्ड वन विकास निगम की ओर से आर्थिक सहयोग :-<br>मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वन विकास निगम महोदय के माध्यम से जानकी मेहरा, पुत्री श्री खीम सिंह मेहरा, ग्राम क्यारी बन्दोबस्ती पो0 रामनगर जिला नैनीताल द्वारा अपने पत्र दि0 30-07-2019 से अवगत कराया गया है कि वह उत्तराखण्ड के लिए वर्ष 2010, 2011 एवं 2012 में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेल चुकी है परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनके द्वारा परिवार के भरण-पोषण हेतु मजदूरी करनी पड़ी। खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु उन्हें आर्थिक सहयोग देने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदन पत्र प्राप्त है। | (10) क्रिकेटर जानकी मेहरा, पुत्री श्री खीम सिंह मेहरा को उत्तराखण्ड वन विकास निगम की ओर से आर्थिक सहयोग :-<br>प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा उपरान्त मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से रामनगर निवासी जानकी मेहरा, पुत्री श्री खीम सिंह मेहरा के 03 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर राज्य का नेतृत्व करने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए खेल-कूद को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम से रू0 50000/- (पचास हजार मात्र) आर्थिक मदद किए जाने का निर्णय लिया गया।<br>अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया। |
| | (11) राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निःशुल्क जलौनी मुहैया कराया जाना:-<br>बैठक में मा0 अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों की आर्थिक स्थिति एवं उनकी पारिवारिक समस्या को देखते हुए उनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम दाह संस्कार हेतु परिजनों को उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नजदीकी डिपो से लगभग 05 कुन्तल जलौनी निःशुल्क मुहैया कराया जाय। आवेदन पत्र प्राप्त है। | (11) राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा निःशुल्क जलौनी मुहैया कराया जाना:-<br>मा0 अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से राज्य में बी0पी0एल0 परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम दाह संस्कार हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नजदीकी डिपो से अधिकतम 4.5 (साढ़े चार) कुन्तल जलौनी निःशुल्क मुहैया कराए जाने का निर्णय लिया गया।<br>अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया गया। |